# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

**आपराधिक पुनरीक्षण सं0–207 वर्ष 2007**

1.तुलसी महतो

2. दासो उर्फ दशरथ महतो

3. टेकलाल महतो

4. हुलश महतो

5. बिजेंद्र प्रसाद मेहता

6. महेंद्र प्रसाद महतो उर्फ महेंद्र प्रसाद मेहता

7. शंभू महतो उर्फ शंभू प्रसाद मेहता ..... ..... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

8. झारखण्ड राज्य

9. शिवनाथ प्रसाद मेहता .... ..... विपक्षी पार्टियाँ

**उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री बी0के0 दुबे, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– श्री प्रबीर चटर्जी, विशेष लोक अभियोजक।

06 / 02.01.2023 पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह पुनरीक्षण आवेदन आपराधिक अपील संख्या 123 / 2006 में विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 21.12.2006 के फैसले के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 107 के तहत कार्यवाही में एम0 केस संख्या 108 / 2005, टी0आर0 सं0 22 / 2006 के तत्सम में विद्वान कार्यकारी

दण्डाधिकारी, हजारीबाग द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश पारित किया गया, को पुष्टि किया गया जिसमें याचिकाकर्ताओं को शांति बनाए रखने के लिए समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 5000/– रूपये कास बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

3. इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, सेवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें यह दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 4, अर्थात् तुलसी महतो और हुलास महतो की मृत्यु इस आदेवदन के लंबित के दौरान हो गई है। उक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता संख्या 1 और 4, क्रमशः तुलसी महतो और हुलास महतो के खिलाफ तत्काल आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता सं0 1 और 4 की मृत्यु हो गई है और वह जीवित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए हैं। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को शांति बनाए रखने के लिए समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 5000/– रूपये का बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने उक्त परिवीक्षा बांड प्रस्तुत नहीं किए और इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया और उक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और परिवीक्षा अवधि के दौरान कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रबीर चटर्जी ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के दलील का समर्थन किया और स्वीकार किया कि परिवीक्षा अवधि के दौरान

कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और लंबी अवधि के बाद परिवीक्षा बांड दाखिल करना केवल औपचारिकता होगी।

6. उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिवीक्षा बांड की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए वर्षों बीत जाने के बाद याचिकाकर्ताओं को परिवीक्षा बांड दाखिल करने से छूट दी गई है, क्योंकि परिवीक्षा अवधि के भीतर कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, तत्काल आवेदन, एतदद्वारा, उपरोक्त संशोधन के साथ निपटाया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोषसिद्धि का निर्णय कायम है क्योंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई त्रुटि नहीं बताई गई है।

7. निचली अदालत के रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित अदालत में भेजा जाए।

(दीपक रोशन, न्याया0)